Convicts After Grant of Bail", which shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Official Gazette.

AMENDMENT

In the said rule-

(I) In Chapter XVII, after Rule 20, the following rule shall be added as follows:

"20A. Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) :

The e-authenticated copies of all the interim orders, stay orders, bail orders and record of proceedings of all the Courts transmitted through Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) system shall be valid for compliance of the directions contained therein and due execution thereof by all the duty holders."

RAM KUMAR CHOUBEY, Registrar General.

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिटट्न मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्रमांक– 1514/मप्रविनिआ/2022, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यङ) की धारा 10(3)(क), 62(2) तथा 128(8) सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, (2000) (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 55(2)(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी के कार्य निष्पादन का अनुप्रवर्तन) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2022 {आरजी–2(I), वर्ष 2022}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रांरभ :–**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी के कार्य निष्पादन का अनुप्रवर्तन) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2022 {आरजी–2(I), वर्ष 2022}** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

1.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी के संबंध में इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. परिभाषा :—

जब तक संदर्भ विशेष की अन्यथा अपेक्षा न हो, विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किये गये विनियमों तथा इनके संशोधनों में परिभाषित हैं।

3. उद्देश्य :—

इन विनियमों का उद्देश्य आयोग द्वारा अधिसूचित सुसंबद्ध विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट परिचालन मानकों/मानदण्डों की पूर्ति करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी की विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा सेवा मानकों का अनुप्रवर्तन करना है।

4. आयोग को सूचना/जानकारियों की प्रस्तुति :—

4.1 मध्यप्रदेश के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी से इन विनियमों में विहित सूचना/जानकारियां आयोग को संलग्न प्रारूपों के अनुसार प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

4.2 सूचना/जानकारियां प्रस्तुत करने की अवधिकाल समयावधि त्रैमासिक (quarterly) है। इस विनियम के प्रयोजन से त्रैमास (quarterly) का तात्पर्य निम्नानुसार होगा :

(क) त्रैमास (quarter) 1 : अप्रैल से जून

(ख) त्रैमास (quarter) 2 : जुलाई से सितम्बर

(ग) त्रैमास (quarter) 3 : अक्टूबर से दिसम्बर

(घ) त्रैमास (quarter) 4 : जनवरी से मार्च

4.3 प्रत्येक प्रतिवेदन को प्रत्येक त्रैमास की अन्तिम तिथि से 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

4.4 सूचना/जानकारियों की प्रस्तुति समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने तथा किसी आवश्यकता के बारे में आयोग से समन्वयन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी को अनुपालन प्रतिवेदक (रिपोर्टर ऑफ कम्पलायंस) की नियुक्ति करनी होगी।

4.5 आयोग किसी अतिरिक्त जानकारी की प्राप्ति के उद्देश्य से प्ररूपों की विषयवस्तु में संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा या नवीन प्ररूपों को जोड़ सकेगा।

4.6 जनोपयोगी सेवा इकाईयों (utilities) द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रबन्धन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल पर सूचना को अपलोड किया जाएगा जिस हेतु MIS पोर्टल तक पहुंच के लिये अनुपालन प्रतिवेदक (रिपोर्टर ऑफ कम्पलायंस) को 'login ID' तथा 'पासवर्ड' प्रदान किये जाएंगे। तथापि, जनोपयोगी सेवा इकाईयां (utilities) MIS प्रतिवेदनों का हार्ड कापी में प्रचलित प्रकिया अनुसार प्रस्तुत करना जारी रखेगी, जब तक कि आयोग इसे हटाने हेतु आदेश जारी न कर दे।

5. सूचना/जानकारी का उपयोग :—

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना/जानकारी के उपयोग पर आयोग का अधिकार होगा जैसा कि वह उचित समझे जिसमें इसको प्रकाशन या इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुति और/या इसे विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित करना भी सम्मिलित है।

6. दिशा–निर्देश प्रदान करने की शक्ति :—

आयोग ऐसे दिशा–निर्देश तथा आदेश जारी कर सकेगा जैसा कि इन्हें इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु उचित समझा जाए।

7. छूट प्रदान करने की शक्ति :–

आयोग, स्वप्रेरणा से या फिर उसके समक्ष पक्षकार द्वारा दायर की गई किसी याचिका पर संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात कारण लिखित में अभिलिखित करते हुए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल कर सकेगा।

8. संशोधन करने की शक्ति :–

आयोग समय–समय पर इन विनियमों में किन्हीं उपबन्धों को जोड़ने, बढ़ाने, बदलने, परिवर्तन करने, निलंबित करने, सुधारने, संशोधित करने अथवा निरसित करने संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

9. निरसन तथा व्यावृत्ति :–

9.1 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

9.2 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो।

9.3 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अन्तर्गत किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है अथवा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से जैसा वह उचित समझे, निवर्तन कर सकेगा।

9.4 विनियम अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य निष्पादन अनुवीक्षण) विनियम, 2004 एवं इसके समस्त संशोधनों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

9.5 इस म. प्र. वि. नि. आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी के कार्य निष्पादन का अनुप्रवर्तन) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2022 {आरजी–2(I), वर्ष 2022} के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी,
आयोग सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी के कार्य निष्पादन का अनुप्रवर्तन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2022

प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्ररूपों की सूची (List of MIS Format)			
सरल क्रमांक	**प्ररूप संख्या (Format No.)**	**विषय/सूचना (जानकारी) (Subject /Information)**	**टिप्पणी**
1	Gen 1	Performance (Thermal)	निष्पादन (ताप विद्युत) संबंधी
2	Gen 2	Performance (Hydro)	निष्पादन (जल विद्युत) संबंधी
3	Gen 3	Coal Details	कोयला संबंधी विवरण
4	Gen 4	Fuel Cost	ईंधन लागत संबंधी विवरण
5	Gen 5	Coal linkage Details	कोयला संयोजन संबंधी विवरण
6	Gen 6	Generation Loss and Outages details (Month wise)	उत्पादन हानि तथा अवरोध संबंधी विवरण (माहवार)
मध्यप्रदेश .... क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड			
1	D-1	KPI with regards to Sales Demand & collection and losses	विक्रय, मांग और संग्रहण एवं हानियों के बारे में मुख्य निष्पादन संकेतक
2	D-2	Status of Arrears	बकाया राशियों की अद्यतन स्थिति
3	D-3	MP Discoms Subsidy Claimed, received and balance from GOMP	मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दावा की गई, प्राप्त की गई राज्यानुदान (सब्सिडी) की राशि तथा मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त की जाने वाली शेष राशि
4	D-4	Meterisation of un-metered LT Domestic connections	अमीटरीकृत निम्न दाब घरेलू संयोजनों (कनेक्शनों) का मीटरीकरण
5	D-5	LT-Stopped/Defective Meters	निम्न दाब– बंद/दोषपूर्ण मापयंत्र
6	D-6	HT-Defective Meters/ Metering Equipment	उच्च दाब–दोषपूर्ण मापयंत्र/ मापन उपकरण
7	D-7	Assessment Based Billing-Domestic Category	आकलन आधारित बिलिंग– घरेलू श्रेणी
8	D-8	LT-Domestic Category wise consumption	निम्न दाब–घरेलू श्रेणीवार खपत
9	D-9A	Circle wise Losses	वृत्तवार हानियां
10	D-9B	Feeder wise Losses (33 KV and 11 KV)	संभरकवार हानियां (33 केवी तथा 11 केवी)

सरल क्रमांक	प्ररूप संख्या (Format No.)	विषय/सूचना (जानकारी) (Subject /Information)	टिप्पणी
11	D-10	Divisions with highest & lowest Distribution losses	उच्चतम तथा न्यूनतम वितरण हानियों वाले संभाग
12	D-11	Smart Meters	स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर)
13	D-12	Feeder Metering	संभरक मापन व्यवस्था (मीटरिंग)
14	D-13	DTR Metering	वितरण ट्रांसफार्मर मापन व्यवस्था (मीटरिंग)
15	D-14	Distribution Transformer Failure	वितरण ट्रांसफार्मर विफलता
16	D-15	Distribution Transformer Failure causes	वितरण ट्रांसफार्मर विफलता के कारण
17	D-16	Accidents	दुर्घटनाएं
18	D-17	Details of consumers availing Net Metering Facility	शुद्ध मापन सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के विवरण
19	D-18A	Details of consumers availing Gross Metering Facility	सकल मापन सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के विवरण
20	D-18B	Human Resource Details	मानव संसाधन संबंधी विवरण
21	D-19	Details of ECGRF	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (Electricity consumer complaints Redressal Forum) संबंधी विवरण
22	D-20	Distribution performance standards	वितरण निष्पादन मानक
23	D-21	SAIFI/SAIDI	प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (SAIFI)/प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (SAIDI)
24	D-22	Irregularities detected under Section 135	धारा–135 के अधीन पाई गई अनियमितताएं